राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 875/2009/अजमेर

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,
वृत्त भिवाडी, अलवर .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स ए.एम.डी. मेट प्लास्टिक प्राईवेट लि. नीमराणा .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा .....अपीलार्थी की ओर से.

अभिभाषक

श्री शीतांशु शर्मा,

उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03.10.2018

निर्णय

1. उक्त अपील उपायुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर अलवर के अपील संख्या 25/उपा–अल/आरएसटी/07–08–08 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त निर्णय के द्वारा व्यवसाई फर्म के विरूद्व आरोपित मांग राशि 1,23,109/– को उपायुक्त अपील्स द्वारा अपास्त करने के कारण विभाग द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं।

2 प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 8–3–2007 को अपीलार्थी का वर्ष 2004–05 (आरएसटी) का कर निर्धारण धारा 29 आफ आएसटी एक्ट 1994 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसमें कुल मांगराशि रू0 1,18,648/– कायम की गई अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (30) एफडी/टैक्स –डिवी/2002 –145, 146 दिनांक 22.03.2002 के अनुसार क्रय रू0 2,44,425/– पर चुकाये गये क्रय कर का सैट आफ क्लेम किये जाने पर सक्षम् अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसार रू0 1,54,003/– के क्रय कर का सैट आफ स्वीकार करते हुए शेष रू0 90,422/– के सैट आफ को यह अंकित करते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह क्रय कर वर्ष 2003–04 के दौरान चुकाया गया है, इसलिये देय नहीं है तथा सैट आफ अस्वीकार किये जाने के फलस्वरूप देय कर समय पर जमा नहीं होना मानते हुए धारा 58 आफ आरएसटी एक्ट के तहत ब्याज रू0 28,367/– आरोपित किया गया एवं वार्षिक विवरणी पेश नहीं किये जाने के लिये रू0 4,320/– की शास्ति धारा 61 आफ आरएसटी एक्ट के तहत आरोपित की गई है।

3. व्यवसाई के अधिकृत प्रतिनिधी ने बताया कि उनके द्वारा वर्ष 2003–04 के दौरान खरीदे गये कच्चे माल पर चुकाये गये क्रय कर का सैट आफ वर्ष 2004–05 में इसलिये क्लेम किया गया है क्योंकि फैक्टी में उत्पादन होना 31.03.2004 में प्रारम्भ हुआ था और वर्ष 2003–04 के दौरान कर चुकाये माल पर वर्ष 2004–05 में सैट आफ इसलिये क्लेम किया गया है क्योंकि निर्मित माल की बिक्री वर्ष 2004–05 में की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–(30) एफ डी / टैक्स / डिवी / 2002–145,146 दिनांक 22.03.2002 के अनुसार ऐसे कच्चे माल की खरीद पर चुकाये गये क्रय कर का सैट आफ देय है जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री राज्य के भीतर की गई है चूंकि व्यवसाई ने वर्ष 2003–04 में कच्चे माल की खरीद करके उस पर क्रय कर चुका दिया था। इसलिये जब यूनिट ने उत्पादन प्रारम्भ किया तो उत्पादित माल की वर्ष 2004–05 में बिक्री होने के कारण राज्य सरकार का उपरोक्त वर्णित नोटिफिकेशन के अनुसार सैट आफ देय है व्यवसाई ने उक्त सैट आफ का रिफंड नहीं चाहा है बल्कि उससे विनिर्मित माल का विक्रय होने पर ही देय कर का सैट आफ के लिये क्लेम प्रस्तुत किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने इस नोटिफिकेशन के अनुसार व्यवसाई के सैट आफ के क्लेम को वैधानिक ठहराया है इसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है और विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

4. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)

सदस्य